रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2000/आषाढ़ 28, 1922
No. 474] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2000/ASADHA 28, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2000

का.आ. 673(अ).-केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख की उपधारा (2 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त धारा की उपधारा (2ख) के अधीन गठित सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात यह निदेश देती हे कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 477 (अ) तारीख 25 जुलाई, 1991 का निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

अनुसूची III में "लघु उद्योग क्षेत्र में ही निर्मित किए जाने के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची" शीर्ष के अधीन, -

(क) क्रम संख्या 127 के सामने, -

(i) स्तंभ (3) में "30310101" प्रविष्टि के स्थान पर "303101032" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) स्तंभ (4) में "फैलाकर बनाए गए पांच लीटर तक के प्लास्टिक-एच डी पी ई- पी वी सी ड़िब्बे पांच लीटर तक के" प्रविष्टि के स्थान पर "पांच लीटर क्षमता के उत्सारण धमन संचित प्लास्टिक एच डी पी ई/पी वी सी आधा तनन/धमन/ अंतःक्षेपण धमन सांचित प्लास्टिक आधानों को छोड़कर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(ख) क्रम संख्या 331 क के सामने,-

(i) स्तंभ (3) में "321202" प्रविष्टि के स्थान पर "321202015" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) स्तंभ (4) में "साधारण किस्म के सीसे, विशेष दर्पणों को छोड़कर जैसे चश्मे के लैंस आदि के लिए होते हैं" प्रविष्टि के स्थान पर "कांच के दर्पण, उनको छोड़कर जिनका विनिर्माण स्वचालित फौहार या निर्वात लेपन प्रक्रिया का उपयोग कर के किया जाता है" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) क्रम संख्या 393 के सामने, -

(i) स्तंभ (3) में "341001" प्रविष्टि के स्थान पर "341001015" प्रविष्टि रखी जाएगी ; और

(ii) स्तंभ (4) में, "धातु के दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदान" प्रविष्टि के स्थान पर "धातु के दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान (विशेष उपयोजन जैसे सुरक्षा, अग्नि संरक्षा, ध्वनिरोधन और बुलेट बेधन अवरोध के लिए उपयुक्त गैर धात्विक कौर से भरे गए हेवी ड्यूटी हालो इस्पात के दरवाजों को छोड़कर) " प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. 7(3)/99-आई.पी.]

एम. एस. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—

मूल अधिसूचना का. आ. सं. 477 (अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 के अधीन जारी की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. सं. 298 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 1997 और का.आ. सं. 71 (अ), तारीख 3 फरवरी, 1999 द्वारा किए गए ।